राजस्थान सरकार

कार्यालय नियन्त्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर

(दूरभाष : 2740834, 2740838)

क्रमांकः प.6( )/सामान्य/स्टे.मो.गै./2015–16/ 629-42 दिनांक 22-01-2016

नीलामी सूचना

सरकारी वाहनों एवं सामान की भव्य नीलामी

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज परिसर, जयपुर में मंगलवार, 23 फरवरी, 2016 से शुक्रवार 26 फरवरी, 2016 एवं सोमवार, 29 फरवरी, 2016 से बुधवार 02 मार्च, 2016 तक (कुल 07 दिवस) राजकीय विभागों, निगमों, मण्डलो, स्वायतशाषी संस्थाओं एवम् उपक्रमों के अनुपयोगी वाहनों एवम् वाहनों के अनुपयोगी/अप्रचलित सामान,एक स्क्रेप क्रेन, विभाग द्वारा उपयोग में लिये गये फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य अनुपयोगी सामान आदि की नीलामी का आयोजन रखा गया है। सोमवार, 29 फरवरी, 2016 को वाहनों के नाकारा टायर्स–टयूब्स, बैट्रीज, पुराने/अप्रचलित मोटर पार्टस एवम् विभाग के अन्य अनुपयोगी सामान एवम् स्क्रेप क्रेन आदि की एवम मंगलवार 01 मार्च, 2016 को फ्लैग वाहनों की नीलामी की जावेगी। नीलामी की शर्तो का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में किया जा सकता है।

नीलामी में भाग लेने वालों के लिये विशेष सूचना

नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा स्वंय की पहचान के सत्यापन हेतु ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र एवम् पेन कार्ड (इन में से कोई एक दस्तावेज) की दो प्रमाणित छायाप्रतियॉ एवम् स्थाई निवास स्थान के पते के सत्यापन हेतु बिजली, पानी एवम् टेलीफोन के बिल तथा आधार कार्ड तथा स्वयं की पहचान हेतु उल्लेखित उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज(जो की स्वयं की पहचान हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों से भिन्न हो) की दो प्रमाणित छायाप्रतियॉ तथा पासपोर्ट साईज की दो नवीनतम फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है। फर्म, कम्पनी, एवम् संस्था की ओर से नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को इनका पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा इनकी ओर से नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकार पत्र की भी दो सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। इन दस्तावेजो के अभाव में नीलामी में भाग नही ले सकेगे।

नीलामी में भाग लेने हेतु जमा कराई जाने वाली धरोहर राशि नकद जमा होगी। अन्तिम बोली छूटने पर विक्रय मूल्य की ¼ राशि तथा ¾ राशि नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, राजस्थान, जयपुर को देय बैक ड्राफ्ट या पे आर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी। विक्रय राशि नकद स्वीकार नहीं की जावेगी। बैक ड्राफ्ट/पे आर्डर बनवानें का दायित्व क्रेता का होगा। बैक ड्राफ्ट/पे आर्डर बनवानें हेतु आवश्यक दस्तावेज (पैन कार्ड एवम् पहचान पत्र आदि) क्रेता साथ में लावे।

नोट :– समस्त राजकीय विभागों, निगमों, मण्डलो, स्वायतशाषी संस्थाओं एवम् उपक्रमों के लिये सूचना
आगामी नीलामी मे सम्मलित करने हेतु नाकारा वाहन/सामान माह जुलाई एवम् अगस्त, 2016 मे जमा किये जावेगे।

हø

नियन्त्रक

क्रमांक : सम/ 629-42 दिनांक 22-01-2016

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. समस्त शासन सचिवों को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें।
3. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (आय) विभाग, जयपुर कृपया समस्त निगमों,मण्डलों, स्वायतशाषी संस्थाओं एवम् उपक्रमों को निर्देशित कराने का श्रम करावें।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) कृपया संभाग के समस्त समर्पित/नकारा वाहनों को नीलामी हेतु भिजवाने का श्रम करावें।
5. पंजीयक सहकारी विभाग, कृपया सहकारी बैंको को निर्देशित करें।
6. निदेशक ग्रामीण विकास विभाग एवं पचायतीराज विभाग, जयपुर कृपया समस्त जिलों की पचायत समितियों को निर्देशित करें।
7. समस्त विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर अनुरोध है कि समस्त जिलों में अपने अधीन सभी कार्यालयों को निर्देश जारी करें।
8. पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय जयपुर, कृपया समस्त संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सूचित करें।
9. संभाग के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
10. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कृषि निदेशालय, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता सा० निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, जन स्वा० अभि० विभाग, माही बीसलपुर/इन्दिरा गॉधी नहर मण्डल।
13. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर।
14. मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैराज उदयपुर/जोधपुर।

नियन्त्रक